रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052022-235825 CG-DL-E-18052022-235825

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944

No. 253]

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

फा. सं0. स्टैंडर्ड्/एसपी-21/टी(एल्कोहल-4). - खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित करती है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा <u>regulation@fssai.gov.in</u> पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

- 1. इन विनियमों को 'खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) संशोधन विनियम, 2022 कहा जा सकता है।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 के,-
- (1) भाग-2 के विनियम 2.8 के उप-विनियम 2.8.1 के खंड (i) की जगह निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्,-

3309 GI/2022 (1)

"(झ) सिंगल माल्ट अथवा सिंगल ग्रेन व्हिस्की : सिंगल माल्ट अथवा सिंगल ग्रेन व्हिस्की उस किण्वित मैश से व्युत्पन्न आसुत होता है, जिसमें क्रमश: माल्टिड जौ अथवा माल्टिड/गैर-माल्टिड धान्य का प्रयोग होता है, जिसका आसवन केवल पॉट स्टिल में और उत्पादन एक ही आसवनी में किया जाता है।"

(2) भाग 5 के विनियम 5.5 की जगह निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात,-

"एल्कोहलीय बीवरेज के लेबल पर कि. कैलोरी में ऊर्जा की मात्रा को छोड़कर कोई पोषण सूचना नहीं होगी। ऊर्जा से संबंधित ऐसी घोषणा स्वैच्छिक होगी।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./72/2022-23]

टिप्पणी.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना स. फा0 सं. 2/एसए-24/2009(1)/एफएसएसएआई, दिनांक 19 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना सं. फा. सं. स्टैडंर्डस/एसपी(वाटर एंड बीवरेज)/नोटिफिकेशन(1)/एफएसएसएआई-2019, दिनांक 18 दिसंबर. 2020 द्वारा संशोधन किया गया था।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2022

F. No. Std/SP-21/T(Alcohol-4).- The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006, (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi - 110002, or may be sent through e-mail at regulation@fssai.gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period so specified above, will be considered by the Food Authority.

Draft regulations

- 1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2022.
- 2. In the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, -
 - (1) in Part 2, in regulation 2.8, in sub-regulation 2.8.1, for clause (i) the following shall be substituted, namely,-
 - "(i) Single malt or Single grain whisky: Single malt or Single grain whisky is a distillate obtained from fermented mash that uses malted barley or malted/unmalted grain, respectively, distilled in pot still only, and produced in a single distillery".

(2) in Part 5, for the regulation 5.5 the following shall be substituted, namely,-

"5.5 Alcoholic beverage shall not contain any nutritional information on the label except energy content in K.Cal. Such declaration related to energy content shall be voluntary".

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./72/2022-23]

Note: The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2/SA-24/2009(1)/FSSAI, dated 19th March, 2018 and subsequently amended vide notification no. F. No. Stds/SP(water and Beverages)/Notification(1)/FSSAI-2019 dated 18th December, 2020.